भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2870

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर के लिए)

परिवीक्षा की पुष्टि के लिए दिशानिर्देश

2870. डॉ. जयंत कुमार राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी सेवाओं में परिवीक्षा की पुष्टि के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजपत्रित संवर्ग में परिवीक्षा की पुष्टि के मानदंडों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई है;

(ङ) स्थायीकरण के लिए परिवीक्षा अवधि (दो वर्ष) के दौरान अपेक्षित उपस्थिति के दिनों की संख्या कितनी है;

(च) परिवीक्षाकाल (दो वर्ष) के दौरान परिवीक्षा की अवधि बढ़ाए जाने से बचने के लिए कितने दिनों का अवकाश लिया जा सकता है;

(छ) क्या यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक बुलाने में असामान्य विलंब के कारण कर्मचारियों का समय पर स्थायीकरण नहीं किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप उनकी पदोन्नति में विलंब होता है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : इस संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा दिनांक 11.03.2019 को केन्द्रीय सेवाओं में परिवीक्षा/स्थायीकरण के संबंध में एक मुख्य परिपत्र जारी किया गया है।

(ग) : परिवीक्षा की पुष्टि के लिए कार्य का प्रदर्शन, अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना तथा परिवीक्षाधीन व्यक्ति के समग्र आचरण इत्यादि पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है।

(घ) से (च) : यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है अथवा अपेक्षित निर्धारित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, को उत्तीर्ण नहीं किया है अथवा किसी विशेष मामले में यदि नियुक्ति प्राधिकारी इसको उचित मानता है तो परिवीक्षा की अवधि को उतनी अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है जितना आवश्यक हो। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की छुट्टी के कारण परिवीक्षाधीन व्यक्ति कुल निर्धारित अवधि का 75% पूरा नहीं करता है तो परिवीक्षा अवधि को लिए गए अवकाश की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक नहीं बढानी चाहिए।

(छ) और (ज) : परिवीक्षा के पुष्टिकरण पर कार्रवाई संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाती है। इस विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समय-समय पर निर्देश जारी करता रहा है। परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थायीकरण में विलंब से बचने के लिए यह उपबंध किया गया है कि परिवीक्षा अवधि निर्धारित परिवीक्षा अवधि के दोगुने से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।

*****